# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक–राज0

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06/2014

प्रविष्टि दिनांकः– 14–07–2014

श्रीमति हाजरा पत्नि मुंशी खां पठान निवासी मालपुरा जिला टोंक राजस्थान।

.................. प्रार्थीया।

बनाम

नगरपालिका मालपुरा जिला टोंक राज0 जरिये –
1–अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मालपुरा।
2–अध्यक्ष, नगरपालिका मालपुरा।

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 312 नगरपालिका अधिनियम बाबत निरस्त किये आदेश नगरपालिका मालपुरा दि0 27.12.2012 बाबत निरस्त किये जाने पटटा कमांक 67 दिनांक 21.12.2012

उपस्थितः (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक प्रार्थीया

## निर्णय

दिनांक 01–07–2016

1– संक्षेप में निगरानी प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया को नगरपालिका मालपुरा द्वारा स्टेट ग्रांट एक्ट 1961 के अन्तर्गत दिनांक 21–12–2012 को एक भूखण्ड निशुल्क पटटा सं0 67 भूखण्ड उत्तर दक्षिण 26'6'', 39', पूर्व पश्चिम 49', 49' क्षेत्रफल 1603 वर्ग फिट –178 वर्ग गज का दिया गया था। जिसको दिनांक 27.12.2012 को निरस्त कर दिया। नगरपालिका का यह आदेश जो विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल है, निरस्त फरमाया जावे।

2– उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीया न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर जरिये प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण की तलबी की गई एवं नगरपालिका से अपीलधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 15.07.15 कार्यवाही एकतरफा की गई। बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नगरपालिका मालपुरा ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थीया को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया, बिना सुनवाई का नोटिस दिये ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। जिस मकान का पटटा प्रार्थीया को दिया गया है उस पर प्रार्थीया का 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जा है जिसमें नल, बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। परिवार सहित इसमें प्रार्थीया निवास करती है। इसके बाबत दिया गया पटटा निरस्त करने का नगरपालिका को कोई अधिकार नहीं है। अतः उक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर नगरपालिका मालपुरा का आदेश दिनांक 27–12–2012 निरस्त फरमाया जावे व प्रार्थीया का पटटा सं0 67 दि0 21–12–2012 बहाल रखा जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

6— हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नगरपालिका मालपुरा द्वारा पटटा सं0 67 दिनांक 21.12.2012 को स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत पटटा जारी किया गया है जो कि पूर्ण कोरम/कमेटी की उपस्थिति में अपीलाण्ट के हक में जारी किया गया है। नगरपालिका मालपुरा द्वारा मोहल्ला वार्ड नं0 11 के निवासियों की पटटा दिये जाने के संबंध में आपत्ति व शिकायत पर कि रसीद संख्या 989/55 में 1603 वर्गफुट की नाप जिसमें सार्वजनिक चौक की नाप भी शामिल है को बताकर अवैध रूप से उसके मकान के आगे सर्वे सिटी की नकल आड में 178 वर्गगज का पटटा गलत बना लिया जबकि उक्त जमीन सार्वजनिक चौक वर्षो पुराना है जिसका उपयोग उपभोग आसपास के मोहल्ले वाले शादी विवाह सार्वजनिक कार्य हेतु करते आ रहे है। शिकायत कर्ताओं द्वारा पटटा जारी होने से पूर्व भी पटटे दिये जाने के सबंध में व प्रार्थीया द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटान के संबंध में शिकायत की थी जो मौके की जांच किये बिना पटटा किस कारण जारी किया गया। आदेशिका/कार्यालय टिप्पणी सं0 13 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उसमें कांट छांट की गई है जो संदेहास्पद प्रतीत होती है। नगरपालिका मालपुरा द्वारा दिनांक 27.12.12 को आयोजित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक विवरण में प्रस्ताव सं0 10 के बारे में नगरपालिका से प्राप्त पत्रावली फोटो प्रति में कुल सदस्य सं0 4 व उपस्थित सदस्य सं0 4 होना अंकित किया गया है किन्तु उस पर अधिशाषी अधिकारी के अलावा अन्य मेम्बरान के हस्ताक्षर नहीं है। इसके साथ ही अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति में उक्त कमेटी में कुल सदस्य व उपस्थित सदस्यों का हवाला नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट जिस आदेश के खिलाफ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है वह नगरपालिका की मूल पत्रावली में मूल आदेश दिनांक 27.12.12 को आयोजित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक का विवरण भी उपलब्ध नहीं है। जो अनिवार्य रूप से होना शामिल किया जाना चाहिए था। नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत पत्रावली अपूर्ण व अव्यथित है। उक्त सभी तथ्यो से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगरपालिका मालपुरा द्वारा विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से निर्णय पारित नहीं किया है। अतः प्रकरण नगरपालिका मालपुरा को पक्षकारान की मौजूदगी में मौका देखकर एवं पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर तथा संबन्धित पटटे की पत्रावली का अवलोकन कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

7— फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार कर नगरपालिका मालपुरा द्वारा प्रस्ताव 27.12.12 निरस्त किया जाकर नगरपालिका मालपुरा को इस आदेश से रिमाण्ड किया जाता है कि नगरपालिका मालपुरा पटटे से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करें तथा दोनो पक्षो को सुनकर मौके की वास्तविकता की जांच कर पुनश्चः निर्णय पारित किया जावे।

8— निर्णय आज दिनांक 01—07—2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner